पटना समाहरणालय (स्थापना शाखा), पटना।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–2804 दिनांक 29.03.2010 के आलोक में सेवा निवृत्त कर्मियों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु दिनांक–29.09.2014 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थित:– पंजी में संधारित।

कार्यवाही :–आज की बैठक में सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी सेवकों को संविदा के आधार पर नियोजन मामलों पर विचार किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2804 दिनांक 29.03.2010 के आलोक में सेवानिवृत्त होनेवाले निम्नांकित कर्मियों को निम्न शर्त्तों के तहत् नियोजन हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

(i) संविदा के आधार पर नियोजन प्रथम 02 (दो) वर्षों के लिए होगा। आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए सेवा का विस्तार उनके कार्यों के समीक्षोपरान्त की जायेगी।

(ii) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।

(iii) नियोजित कर्मियों को उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन से पेंशन की राशि घटाने के बाद शेष राशि मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा।

(iv) अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजत व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v) निम्नांकित कोटि के कर्मियों का नियोजन नही किया जा सकेगा।
- (क) जिनपर कोई निगरानी/विभागीय कार्यवाही का मामला चल रहा हो।
- (ख) जिनपर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
- (ग) जिनपर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज हो।
- (घ) चयन समिति की दृष्टि में जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सक्षम नही होंगे।

क्र0	नाम/पदनाम/ कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	बैठक की तिथि को उम्र (वर्ष/माह)	सेवा निवृत्ति की तिथि को अंतिम वेतन	पेंशन की स्थिति/ पी0 पी0ओ0 यदि निर्गत हो तो	सेवा अवधि में कोई आरोप विभागीय कार्यवाही/ निगरानी का मामला/ विचाराधीन गंभीर आरोप/ आपराधिक मामला	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार सक्षम है या नहीं	चयन समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री श्याम नारायण रजक, सहायक, राज्य अनूसूचित जाति आयोग कार्यालय, पटना	08.03.1954	31.03.2014	60 वर्ष 06 माह 21 दिन	–	–	–	–	से0नि0 के पश्चात् आवेदन प्राप्त है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2804 दिनांक–29.03.2010 की कंडिका 05 ख के नियमानुसार विज्ञप्ति के माध्यम से नियोजन किया

F:\Sulekha Sinha\Shila Madam\Proce-August-2014.doc

									जाना अपेक्षित है। अतः इनका आवेदन **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया।
2.	मो० शमीम उद्दीन खान, फर्मासिस्ट, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	05.12.1953	31.12.2013	60 वर्ष 09 माह 24 दिन	–	–	उपर्युक्त वर्णित मामला कोई नहीं	–	सेoनिo के पश्चात् आवेदन प्राप्त है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2804 दिनांक–29.03.2010 की कंडिका 05 ख के नियमानुसार विज्ञप्ति के माध्यम से नियोजन किया जाना अपेक्षित है। अतः इनका आवेदन **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया।
3.	श्री बबन शर्मा, प्रधान लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, पालीगंज	01.10.1954	30.09.2014	59 वर्ष 11 माह 28 दिन	–	–	तथैव	–	अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज के पत्रांक 1055 दिनांक 03.09.2014 द्वारा अनुशंसित। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इनके पैतृक विभाग में होनेवाले उक्त रिक्त पद पर नियोजन की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ करने का निर्णय लिया गया कि आवेदक के विरूद्ध निगरानी/विभागीय कार्यवाही/आरोप आदि की जांच आवेदक के सेवापुस्त एवं अभिलेखों के आधार पर करने तथा शारीरिक सक्षमता के संबंध में संपुष्ट होने का दायित्व स्थापना उप समाहर्ता, पटना को है।
4.	श्री अर्जुन राम, लिपिक–सह–टंकक, उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण	13.02.1955	28.02.2015	59 वर्ष 07 माह 16 दिन	–	–	तथैव	–	उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, बिहार, पटना के पत्रांक 792/गु0 दिनांक 04.09.2014 द्वारा

	प्रयोगशाला, बिहार, पटना								अनुशंसित। समिति द्वारा वर्ष 2015 के फरवरी माह के बैठक में रखने हेतु संबंधित विभाग से आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
5.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, पत्राचार लिपिक, भू–गर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, पटना	01.12.1954	30.11.2014	59 वर्ष 09 माह 28 दिन	–	–	तथैव	–	मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटनाका पत्रांक–1634 दिनांक 05.09.2014 द्वारा अनुशंसित। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इनके पैतृक विभाग में होनेवाले उक्त रिक्त पद पर नियोजन की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ करने का निर्णय लिया गया कि आवेदक के विरूद्ध निगरानी/विभागीय कार्यवाही/आरोप आदि की जांच आवेदक के सेवापुस्त एवं अभिलेखों के आधार पर करने तथा शारीरिक सक्षमता के संबंध में संपुष्ट होने का दायित्व संबंधित विभाग को है।
6.	श्री द्वारिका साह, प्रधान लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, दानापुर	–	31.01.2015	–	–	–	–	–	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर के पत्रांक–2379 दिनांक 18.09.2014 द्वारा अनुशंसित। समिति द्वारा वर्ष 2015 के जनवरी माह के बैठक में रखने हेतु संबंधित विभाग से आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
7.	श्री शशि भूषण प्रसाद सिंह, प्रयोगशाला प्रावैधिक स्वास्थ्य विभाग, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना	02.10.1954	31.10.2014	59 वर्ष 11 माह 27 दिन	–	–	–	–	प्राचार्य, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना के पत्रांक–3555 दिनांक–18.09. 2014 द्वारा अनुशंसित। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इनके पैतृक विभाग में होनेवाले

									उक्त रिक्त पद पर नियोजन की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ करने का निर्णय लिया गया कि आवेदक के विरूद्ध निगरानी/विभागीय कार्यवाही/आरोप आदि की जांच आवेदक के सेवापुस्त एवं अभिलेखों के आधार पर करने तथा शारीरिक सक्षमता के संबंध में संपुष्ट होने का दायित्व संबंधित विभाग को है।
8.	श्री राम चरित्र राय, उच्च वर्गीय लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	–	30.09.2014	–	–	–	–	–	सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–13380/सा0 प्र0 दिनांक 24.09.2014 के द्वारा अनुशंसित। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इनके पैतृक विभाग में होनेवाले उक्त रिक्त पद पर नियोजन की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ करने का निर्णय लिया गया कि आवेदक के विरूद्ध निगरानी/विभागीय कार्यवाही/आरोप आदि की जांच आवेदक के सेवापुस्त एवं अभिलेखों के आधार पर करने तथा शारीरिक सक्षमता के संबंध में संपुष्ट होने का दायित्व संबंधित विभाग को है।
9.	श्री कैलाश सिंह, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना	01.06.1954	31.05.2014	60 वर्ष 03 माह 28 दिन	–	–	–	–	से0नि0 के पश्चात् आवेदन प्राप्त है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2804 दिनांक–29.03.2010 की कंडिका 05 ख के नियमानुसार विज्ञप्ति के

									माध्यम से नियोजन किया जाना अपेक्षित है। अतः इनका आवेदन **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया।
10.	श्रीमति बिमला सिन्हा, पारिचारिका श्रेणी "ए", पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	01.10.1954	30.09.2014	59 वर्ष 11 माह 28 दिन	–	–	–	–	अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना द्वारा अनुशंसित। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इनके पैतृक विभाग में होनेवाले उक्त रिक्त पद पर नियोजन की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ करने का निर्णय लिया गया कि आवेदक के विरूद्ध निगरानी / विभागीय कार्यवाही / आरोप आदि की जांच आवेदक के सेवापुस्त एवं अभिलेखों के आधार पर करने तथा शारीरिक सक्षमता के संबंध में संपुष्ट होने का दायित्व संबंधित विभाग को है।
11	श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा, पत्राचार लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, पटना सदर	05.08.1954	31.08.2014	60 वर्ष 05 माह 24 दिन	–	–	–	–	से0नि0 के पश्चात् आवेदन प्राप्त है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2804 दिनांक–29.03.2010 की कंडिका 05 ख के नियमानुसार विज्ञप्ति के माध्यम से नियोजन किया जाना अपेक्षित है। अतः इनका आवेदन **अस्वीकृत** करने का निर्णय लिया गया।
12	श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, प्रयोगशाला प्रावैधिक, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना	05.10.1954	31.10.2014	59 वर्ष 11 माह 24 दिन	–	–	–	–	प्राचार्य, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना के ज्ञापांक–3218 दिनांक–25.08.2014 द्वारा अनुशंसित। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इनके

									पैतृक विभाग में होनेवाले उक्त रिक्त पद पर नियोजन की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ करने का निर्णय लिया गया कि आवेदक के विरूद्ध निगरानी/विभागीय कार्यवाही/आरोप आदि की जांच आवेदक के सेवापुस्त एवं अभिलेखों के आधार पर करने तथा शारीरिक सक्षमता के संबंध में संपुष्ट होने का दायित्व संबंधित विभाग को है।

प्रस्ताव 1. समिति की अनुशंसा केवल नियोजन के लिए उपयुक्तता के दृष्टिकोण से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प–2804 दिनांक 29.03.2010 के निदेश के आलोक में की गई है। समिति द्वारा लिया गया निर्णय कॉलम–10 में अंकित किया गया है। अतः संबंधित विभाग/कार्यालय को नियोजन पूर्व शारीरिक सक्षमता सहित अन्य सभी नियमों का पालन करने का दायित्व होगा जो अपनी विभागीय आवश्यकता के मद्देनजर नियोजन का निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। तद्नुसार सभी संबंधित नियोजन प्राधिकार को संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव 2. उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल–12 (बारह) आवेदकों में से कुल–06 (छः) आवेदकों को संविदा के आधार पर चयनित करते हुए नियोजन हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Sd/-

जिलाधिकारी –सह– अध्यक्ष,
जिला चयन समिति, पटना।

ज्ञापांक–XXIX-01/2014 2668 /स्था0, पटना, दिनांक– 04/10/14

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी, आपदा, पटना/अपर समाहर्त्ता, पटना एवं अपर समाहर्त्ता, विशेष कार्यक्रम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4/10/14

जिलाधिकारी –सह– अध्यक्ष,
जिला चयन समिति, पटना।

F:\Sulekha Sinha\Shila Madam\Proce-August-2014.doc